

0.2024 Ha. (P.F.land) Forest land proposed to be diverted for approach to BPCL Retail Outlet on Muzaffarnagar-Saharanpur road(Km. chainage 13.200, LHS) within 3 Km. of Rohana Khurd Toll Barrier, Khaserā no. 128(part of), village Begampur, Thehsil & Distt. Muzaffarnagar.

मनक भार्ती का मान्य होने का प्रमाण पत्र।

1. वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसकी वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा व अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
4. वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी उसके कर्मचारी अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।
6. परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर सम्बन्धित वनाधिकारी की देखदेख में किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारों का रखरखाव किया जायेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता एजेन्सी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन्य जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः किसी प्रतिकर के भुगतान किये बिना, वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता, प्रयोक्ता एजेन्सी को न होने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वन विभाग को प्राप्त हो जायेगा।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर संरेखण तय करते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी दिनांक 10.2.82 में निहित आदेशों का पालन भी लो0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा। वन भूमि पर अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का सुदृढीकरण/चौड़ीकरण कार्य करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के



अमोल इंगले (Amol Ingle)
अभियांत्रिकी अधिकारी (रिटेल)
मेरठ रिटेल, टेरिफोर्स

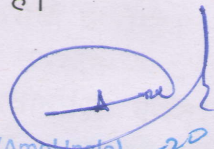
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

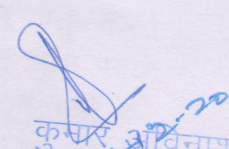
कुमार अश्विनराष्ट्र
प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय (रिटेल)

- अन्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य है।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
 13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उत्तर प्रदेश/उ०प्र० वन निगम द्वारा किया जायेगा।
 14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 10 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग को किया जायेगा। 1000 मी० एवं 30° से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है इसी प्रकार बांज के पेड़ों का पातन भी वर्जित है ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण सम्बन्धित वन संरक्षक स्तर से किया जायेगा।
 15. वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के कोरिडोर के नीचे यथासम्भव पेड़ों का पातन नहीं किया जायेगा व पारेषण लाईन के खम्भों को ऊंचा कर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को बचाया जायेगा, यदि फिर भी पेड़ों का पातन अनिवार्य प्रतीत होता है, तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।
 16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-क्षरण की सम्भावना होती है, और नहर की दोनों पट्टियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त कार्य को स्वयं के व्यय से करायेगा।
 17. उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती हैं तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
 18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया गया हो अथवा सक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।
प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग, उ०प्र० शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गयी शर्तें प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य है।

स्थान— मेरठ।

दिनांक—


अमोल इंगले (Amol Ingle)
अभियांत्रिकी अधिकारी (रिटेल)
मेरठ रिटेल, टेरिटेरी
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा, केसरगंज, मेरठ (उ०प्र०)


कुमार विनाश
प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा, केसर गंज
मेरठ-250002 (उ०प्र०)